



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्



डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. के पास, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2715532

E-mail: adrutrsmsa@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रकोष्ठ/2020-21/

Spl

दिनांक 04/07/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिले।

Important

विषय :- विद्यालयों में संचालित आंगनवाडी केन्द्रों हेतु आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने एवं प्रभावी पर्यवेक्षण के क्रम में।

संदर्भ :- राजस्थान सरकार, प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजना विभाग का पत्रांक प.22 (1) प्राशि/आयो/2018 जयपुर दिनांक 23.06.2020 एवं निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर का पत्रांक F.(30) NMM/ICDS/Committee/2018/52384 दिनांक 19.06.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के अधीनस्थ विद्यालयों में जहाँ समन्वित आंगनवाडी केन्द्र विद्यालय परिसर में संचालित हैं, उनके लिए भी विद्यालय के समान ही आधारभूत सुविधा जैसे - पेयजल/बिजली/शौचालय/खेल मैदान/मिड-डे-मिल के लिए स्थान इत्यादि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण छात्र विद्यालय नहीं आ रहे हैं। विद्यालय एवं आंगनवाडी केन्द्र पूर्व की भांति संचालित होने की स्थिति में, परिषद् के पत्रांक 6332 दिनांक 03.10.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समन्वित आंगनवाडी केन्द्रों को संबंधित संस्था प्रधान एवं नामित मेन्टॉर टीचर द्वारा निरन्तर सम्बलन प्रदान किया जाना, सतत प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाना एवं प्रदान किये गये सम्बलन की प्रविष्टि आंगनवाडी केन्द्र सम्बलन पंजिका में अनिवार्यतः किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्य को प्राथमिकता प्रदान की जावे।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

www.rajsevak.com

अ.प्र. 3/2020
(एम. आर. बागडिया)

अति. राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव - राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूलशिप, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
3. निजी सहायक, शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, आयोजना विभाग।
4. निजी सहायक - अति. राज्य परियोजना निदेशक - प्रथम, रास्कूलशिप, जयपुर।
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक - समसा, समस्त जिले।
6. रक्षित पत्रावली।

Andhary

उपायुक्त - प्रथम

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समस्त जिले।

विषय :- समन्वित आँगनवाडी केन्द्रों पर सम्बन्धित संस्थाप्रधान एवं मैन्टर टीचर द्वारा नियमित सम्बलन बाबत।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समस्त समन्वित आँगनवाडी केन्द्रों पर सम्बलन प्रदान किये जाने हेतु प्रारम्भिक कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले एक शिक्षक (प्रमुखतः महिला शिक्षिका) को मैन्टर टीचर नामित किया गया है। मैन्टर टीचर द्वारा आँगनवाडी केन्द्र पर सम्बलन प्रदान किया जा रहा है। संस्थाप्रधान अधीनस्थ प्रत्येक समन्वित आँगनवाडी केन्द्र पर अनिवार्यतः एक रजिस्टर- 'आँगनवाडी केन्द्र सम्बलन पंजिका' संधारित करेंगे, जिसमें संस्थाप्रधान एवं मैन्टर टीचर अनिवार्यतः आँगनवाडी केन्द्र विजिट के दौरान प्रदान किये गये उक्त सम्बलन की प्रविष्टि करेंगे। 'आँगनवाडी केन्द्र सम्बलन पंजिका' में शिक्षा विभाग के राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर से सम्बलन हेतु उपस्थित होने वाले अधिकारियों की भी प्रविष्टि होगी।

परिषद् के आदेश क्रमांक 6793 दिनांक 25.09.2018 के बिन्दु संख्या 1 के निर्देशानुसार मैन्टर टीचर द्वारा समन्वित आँगनवाडी केन्द्र पर माह में न्यूनतम एक बार उपस्थित होकर सम्बलन प्रदान किया जा रहा है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अधिक सम्बलन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2019 से मैन्टर टीचर द्वारा भौतिक रूप से समन्वित आँगनवाडी केन्द्र पर सप्ताह में 1 बार और प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित आँगनवाडी केन्द्र पर 15 दिवस में न्यूनतम 1 बार उपस्थित रहकर सम्बलन प्रदान किया जाना है। संस्था प्रधान द्वारा सतत् रूप से सम्बलन प्रदान करना जारी रहेगा।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भौतिक एवं प्रशासनिक रूप से समन्वित आँगनवाडी केन्द्र पर उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही, अधीनस्थ समस्त आँगनवाडी केन्द्रों पर 'आँगनवाडी केन्द्र सम्बलन पंजिका' संधारित कर दी गई है, इस आशय का प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को ई-मेल आईडी adrutrsmsa@gmail.com पर 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- परिशिष्ट 'अ'

www.rajsevak.com



(अभिषेक भगोटिया)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान-सरकार।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूलशिप-जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
7. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

27/10/19

अति. राज्य परियोजना निदेशक

परिशिष्ट 'अ'

ऑगनवाडी केन्द्र सम्बलन पंजिका

क्र.स.	दिनांक	समय	सम्बलनकर्ता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	सम्बलन सम्बन्धी टिप्पणी	हस्ताक्षर
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

www.rajsevak.com